भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1074

दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

योजनाओं का पुन: नामकरण

1074. श्री नकुल के. नाथ :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 के बाद मंत्रालय की किन योजनाओं के नाम बदले गए हैं; और

(ख) वर्ष 2014 के बाद इन योजनाओं के लिए किए गए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) वाणिज्य विभाग (डीओसी) के तहत दो स्कीमें हैं, अर्थात् (i) ब्याज परिदान स्कीम; (ii) मसालों का निर्यात उन्मुख उत्पादन, निर्यात विकास और संवर्धन जिनका नाम बदलकर क्रमश: (i) 2015-16 में ब्याज समकरण स्कीम (ii) 2017-18 में मसाला निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता और इलायची अनुसंधान एवं विकास के लिए एकीकृत स्कीम कर दिया गया। 2014 के बाद सरकार ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत किसी भी स्कीम का नाम नहीं बदला है।

(ख) 2014 के बाद इन दो स्कीमों के लिए बजट आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीमों का नाम	वित्तीय वर्ष									
		बीई 2014-15	बीई 2015-16	बीई 2016-17	बीई 2017-18	बीई 2018-19	बीई 2019-20	बीई 2020-21	बीई 2021-22	बीई 2022-23	बीई 2023-24
1	ब्याज परिदान स्कीम	1625.00									
	ब्याज समकरण स्कीम		1625.00	1000.00	1100.00	2500.00	2910.00	2300.00	1900.00	2621.50	2932.00
2	मसालों के निर्यातोन्मुखी उत्पादन, निर्यात विकास और संवर्धन	105.05	105.32	70.35							
	मसाला निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार तथा इलायची अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत स्कीम				82.10	80.00	100.00	120.00	100.00	115.50	115.50